भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1737

10.03.2025 को उत्तर के लिए

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं

1737. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2024 में पंजाब राज्य में पराली जलाने की कितनी घटनाओं की सूचना मिली है;
(ख) पराली जलाने के संबंध में पर्यावरणीय अर्थदंड के रूप में किसानों से कुल कितनी धनराशि वसूल की गई है;
(ग) पराली जलाने के संबंध में बढ़ाई गई शास्ति की प्रभावकारिता क्या है;
(घ) पराली प्रबंधन के लिए किसानों को क्या विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं; और
(ङ) पंजाब और पड़ोसी राज्यों में वायु गुणवत्ता पर पराली जलाने का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) वर्ष 2024 में अर्थात दिनांक 15 सितंबर, 2024 से 30 नवंबर, 2024 तक धान की पराली उत्पन्न होने वाले मौसम के दौरान पंजाब राज्य में पराली जलाने की संसूचित घटनाओं की संख्या 10,909 है।

वर्ष 2024 में धान की पराली उत्पन्न होने के मौसम के दौरान पंजाब राज्य में पराली जलाने के कारण किसानों से संगृहीत की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ईसी) की कुल राशि 1,48,03,000/- रुपये (एक करोड़ अड़तालीस लाख तीन हजार रुपये) है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने किसानों की आवश्यकताओं पर विचार करके पराली जलाने पर प्रभावी रोकथाम लगाने और नियंत्रण करने के लिए एक कार्यढांचा विकसित किया। इसमें फसल की कटाई के बाद कृषि अवशिष्टों को जलाने की पद्धतियों को कम करने पर लक्षित स्व-स्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन, धान की पुआल के बाह्य-स्थाने उपयोग, कड़ी निगरानी और प्रवर्तन तथा व्यापक जागरूकता अभियान जैसे उपाय शामिल हैं।

संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और धान की पराली के उत्पादन को कम करने के लिए बनाई गई योजनाओं/स्कीमों में फसल विविधीकरण, बासमती किस्म को बढ़ावा देना, क्योंकि इसका सुविधाजनक रूप से पशु चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, कम पुआल और जल्दी पकने वाली धान की किस्मों को बढ़ावा देना-गेहूं की फसल की कटाई और बुवाई के बीच की समयावधि को बढ़ाना और समग्र फसल चक्र की अवधि कम करने के लिए प्रतिरोपण करने के बदले चावल की सीधी बुआई की पद्धति को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

किसानों को विभिन्न अनुप्रयोगों के माध्यम से स्व-स्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन, धान की पुआल के बाह्य-स्थाने उपयोग जैसे वैकल्पिक उपाय उपलब्ध कराए जाते हैं। स्व-स्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन में दक्ष और वहन-योग्य यंत्रीकृत साधनों/फसल अवशिष्ट प्रबंधन मशीनरी के माध्यम से धान अवशिष्टों का खेत में ही स्व-स्थाने पलवारने/समामेलित करने की परिकल्पना की गई है।

भारत सरकार ने उत्तरी भारत में धान की पुआल जलाने के मुद्दे का निराकरण करने और किसानों को पराली प्रबंधन के विकल्प प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं :

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएंडएफडब्ल्यू) ने वर्ष 2018-19 से फसल अवशिष्ट प्रबंधन (सीआरएम) संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित की है। इस योजना के तहत, फसल अवशिष्ट प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए किसानों को 50% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और फसल अवशिष्ट प्रबंधन मशीनों के कस्टम हायरिंग केंद्रों (सीएचसी) की स्थापना के लिए ग्रामीण उद्यमियों (ग्रामीण युवा और एक उद्यमी के रूप में किसान), किसानों की सहकारी समितियों, पंजीकृत किसान समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और पंचायतों को 80% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उच्च एचपी ट्रैक्टर, कफर, टेडर, मध्यम से बड़े बेलर, रैकर, लोडर, ग्रैबर्स और टेलीहैंडलर जैसी मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर धान आपूर्ति श्रृंखला परियोजनाओं को 1.50 करोड़ रुपये तक की अधिकतम सीमा के तहत 65% की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
- एमओएएंडएफडब्ल्यू द्वारा वर्ष 2018-19 से 2024-25 की अवधि के दौरान (दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार) 3698.45 करोड़ रुपये (पंजाब को 1756.45 करोड़ रुपये, हरियाणा को 1081.71 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश को 763.67 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 6.05 करोड़ रुपये, आईसीएआर को 83.35 करोड़ रुपये और अन्य को 7.22 करोड़ रुपये) जारी किए गए हैं। राज्यों ने इन 4 राज्यों में किसानों को व्यक्तिगत रूप से और 40000 से अधिक सीएचसी को 3.00 लाख से अधिक मशीनें वितरित की हैं जिनमें बाद के बाह्य स्थाने उपयोग के लिए गांठों के रूप में पुआल एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 4500 से अधिक बेलर और रेक भी शामिल हैं।
- आईसीएआर-कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) द्वारा लुधियाना (पंजाब) और कमल (हरियाणा) में फसल अवशिष्ट प्रबंधन स्कीम के माध्यम से धान की पुआल के प्रभावी प्रबंधन के संबंध में बड़े पैमाने पर कार्यशालाएं भी आयोजित की गई हैं।

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने धान की पुआल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पैलेटाइजेशन और टोरीफैक्शन संयंत्रों की स्थापना हेतु पर्यावरण संरक्षण प्रभार निधियों के तहत एकबारगी वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। सीपीसीबी के उपर्युक्त दिशानिर्देशों के तहत पैलेटाइजेशन और टोरीफैक्शन संयंत्रों की स्थापना के लिए अब तक कुल 15 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत किए गए 15 संयंत्रों की पैलेट उत्पादन क्षमता 2.07 लाख टन/वर्ष है। इन संयंत्रों से प्रति वर्ष 2.70 लाख टन धान की पुआल का उपयोग किया जाना प्रत्याशित है।
- सीएक्यूएम ने दिल्ली के 300 किमी के भीतर स्थित 11 ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी), पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों को "बाह्य स्थाने पराली प्रबंधन" के संबंध में तथा पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए पुआल के बाह्य स्थाने उपयोग को बढ़ावा देने हेतु एक पारिप्रणाली और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला तंत्र स्थापित करने के लिए निर्देश और सलाह जारी की है।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने धान की पुआल के बाह्य-स्थाने प्रबंधन हेतु बायोमास एकत्रीकरण उपकरण की खरीद के लिए संपीड़ित बायो-गैस उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक स्कीम शुरू की है।
- एमएनआरई बायोमास ब्रिकेट/पैलेट विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना करने और केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करके देश में उद्योगों में बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर रहा है।
- एमएनआरई शहरी, औद्योगिक, कृषि अपशिष्टों और नगरीय ठोस अपशिष्ट से बायोगैस, बायो-सीएनजी/संवर्धित बायोगैस/संपीड़ित बायोगैस, विद्युत/उत्पादक या सिनगैस के उत्पादन हेतु अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्रों की स्थापना हेतु सीएफए भी प्रदान कर रहा है।
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रधानमंत्री जी-वन योजना के तहत, पानीपत, हरियाणा में 2जी इथेनॉल परियोजना स्थापित की गई है, जिससे प्रति वर्ष 2 लाख मीट्रिक टन धान की पराली का उपयोग होने की उम्मीद है। एचपीसीएल द्वारा बठिंडा (पंजाब) में एक अन्य 2जी एथेनॉल परियोजना स्थापित की जा रही है।

उपरोक्त के अलावा, हरियाणा सरकार किसानों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, इन प्रोत्साहनों में गांठें बनाकर फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन, पानीपत में 2जी इथेनॉल संयंत्र के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अभिज्ञात क्लस्टरों में उपरोक्त के अलावा 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन का अतिरिक्त टॉप अप, धान की पराली की सामान्य निर्धारित दर 2500 रुपये प्रति मीट्रिक टन घोषित करना, धान की गांठों के उपयोग के लिए गौशालाओं को अधिकतम 15000 रुपये प्रति एकड़ तक सीमित 500 रुपये प्रति एकड़ का परिवहन शुल्क, धान के अन्य फसलों में विविधीकरण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत (एमपीएमवी) पहल के तहत 7000 रुपये प्रति एकड़ का एकमुश्त अनुदान, चावल की सीधी बुआई (डीएसआर) के लिए 4000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन शामिल है।

पंजाब सरकार, कुल 07 लाख एकड़ भूमि को डीएसआर सीधी बुआई वाले चावल (डीएसआर) की खेती के अंतर्गत लाने के लक्ष्य से डीएसआर तकनीक को अपनाने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ का वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही है। पंजाब सरकार ने पंजाब राज्य की पीबीआईपी निवेश संवर्धन नीति के तहत चीनी मिल, कागज मिल और 25 टीपीएच से अधिक वाष्प उत्पादन क्षमता वाले बॉयलर जैसे उद्योगों में संस्थापित किए जाने वाले बॉयलर (धान की पुआल पर आधारित) की लागत पर एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु प्रोत्साहनों की पेशकश की है। इसके अलावा, धान की पुआल का उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए कृषि इंफ्रा निधि के तहत प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं।

वर्ष-दर-वर्ष निरंतर रूप से किए गए सतत प्रयासों के फलस्वरूप खुले में धान अवशिष्ट जलाए जाने की घटनाओं की संख्या में नीचे दी गई तालिका के अनुसार पर्याप्त कमी दर्ज की गई है :

दिनांक 15 सितंबर से 30 नवंबर के दौरान धान अवशिष्ट जलाने की घटनाएं				
राज्य का नाम	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
पंजाब	71304	49922	36663	10909
हरियाणा	6987	3661	2303	1406

दिल्ली में पीएम$_{2.5}$ द्रव्यमान सांद्रता में पराली जलाने से होने वाला दैनिक औसत योगदान, भारतीय प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (आईआईटीएम), पुणे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की निर्णय समर्थन प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। विगत 05 वर्षों में दिल्ली में पीएम$_{2.5}$ को बढ़ाने में पराली जलाने के योगदान का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

योगदान (पूर्व में सफर, अब आईआईटीएम)	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
औसत योगदान	10.6 % (08 अक्टूबर - 07 दिसंबर)	11% (22 अक्टूबर - 10 दिसंबर)	9% (12 अक्टूबर - 01 दिसंबर)	13% (10 अक्टूबर - 23 नवंबर)	13% (10 अक्टूबर - 03 दिसंबर)
अधिकतम योगदान	35%	35%	34%	48%	42%

यह संसूचित किया गया है कि दिल्ली में पीएम$_{2.5}$ को बढ़ाने में पराली जलाने का औसत योगदान, दिनांक 08 अक्टूबर से 07 दिसंबर, 2024 तक की अवधि के दौरान 35% के अधिकतम योगदान के साथ 10.6% है।

*****